Regarding request for exemption of teachers recruited prior to 2010 from the mandatory TET exam

श्री नारायणदास अहिरवार **(जालौन) :** आज पूरे देश, प्रदेश और मेरे लोक सभा क्षेत्र जालौन-गरौठा-भोगिनीपुर में अध्यापन कार्य कर रहे शिक्षक व शिक्षिकाएं माननीय उच्चतम न्यायाल के आदेश से अत्यंत भयभीत हैं । जबकि भारत सरकार द्वारा कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के शैक्षिक योग्यता भर्ती के लिए निर्धारित किया गया जिसमें अन्य योग्यताओं के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी पास करना अनिवार्य किया गया है । यह योग्यता वर्ष 2010 के बाद भर्ती पर लागू होना था, पहले से नियुक्त शिक्षक पर यह लागू नहीं होना था । परंतु, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पहले से नियुक्त शिक्षकों पर भी यह लागू हो गया है, जबकि जब नियुक्ति हुई थी तो उस समय जो योग्यता निर्धारित थी उसे पूर्ण करने के बाद ही उनकी नियुक्ति हुई थी । शिक्षक 20-25 वर्ष से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं । ऐसे शिक्षक जो वर्ष 2010 के पूर्व नियुक्त हुए हैं, उन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा से मुक्त करने हेतु कानून बनाए जाने की सरकार से मैं मांग करता हूं ।